(88)

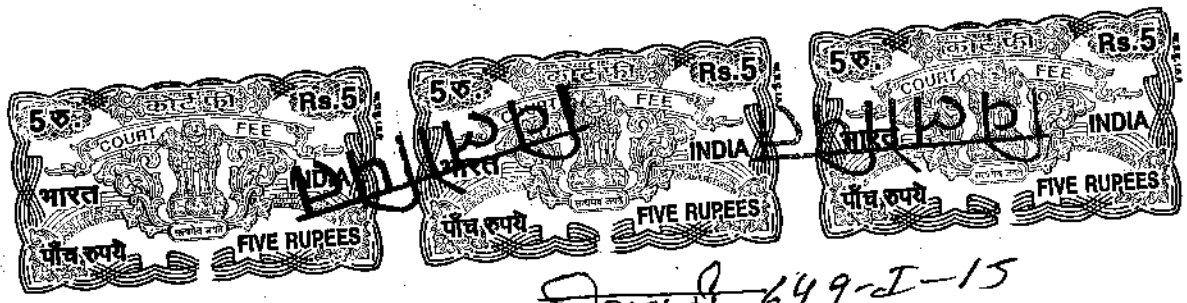

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 649-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

नारायण सिंह पुत्र श्री नत्थू लुहार निवासी ग्राम मढीखुर्द तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...आवेदक

विरूद्ध

श्री .... द्वारा आज दि. 27.3.15 को प्रस्तुत
27-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. भगवानसिंह पुत्र नारायण सिंह लुहार
2. अंतराम पत्र नारायण सिंह लुहार
3. कैलाश पुत्र नारायण सिंह लुहार
4. माया बाई पत्नी नारायण सिंह लुहार
5. राधा बाई पत्नी कैलाश लुहार सभी निवासीगण मढीखुर्द तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

27/3/15

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 355/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.03.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम मंढीखुर्द स्थित भूमियां सर्वे क्रमांक 93/1, 93/2, 190/1 रकवा क्रमशः 1.118, 0.627, 0.105, योग रकवा 1.850 एवं सर्वे क्रमांक 189, 191, 193, 194, 203/1 ख, 203/2 मिन, 210 रकवा क्रमशः 1.473, 0.073, 3. 617, 0.334, 0.329, 0.329, 1.620 योग रकवा 7.775 हैक्ट्यर भूमियां आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की रही है। तथा आवेदक के नाम पर रही है, तथा जिसपर आवेदक एवं अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 4 सभी का बराबर का हिस्सा रहा है।

2– यहकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार मुंगावली द्वारा अवैध रूप से वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से साठ गांठ करके असमान अंश के आधार पर कर दिया गया है। तथा उक्त अवैध बंटवारा

10.6.16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 355/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि ग्राम मढ़ी खुर्द स्थित कुल किता 10 कुल रकबा 9.625 हैक्टर आवेदक एंव अनावेदक के समान हिस्से की भूमि है परन्तु तहसीलदार मुंगावली ने सॉठगॉठ करके आदेश दिनांक 17-8-10 से असमान्य बटवारा किया है जब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील की गई, तब अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 58/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-6-14 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है और इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील करने पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने प्रकरण की गहराई में न जाते हुये सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 11-3-15 से

3- यहकि, नामान्तरण पंजी ग्राम मढीखर्द कमांक 07 आदेश दिनांक 17.08.2010

अपील निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक क. 3, 5 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार व्दारा सभी पक्षकारों को सुनकर बटवारा किया है फर्द पर आवेदक की सहमति है उसे बटवारे की यथासमय जानकारी रही है। अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेशों के निष्कर्ष सही है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11–3–15 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त ने आदेश में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला हैं :–

" तहसील न्यायालय व्दारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है। अपीलांट व्दारा रिस्पा.क. 5 के हक में दस्तावेज संपादित कराया जाकर उसे सह भूमिस्वामी माना गया है। अपीलांट का यह तर्क कि उसे तहसील के बटवारा आदेश की जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई – स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की बटवारा पर सहमति रही है।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहमति बटवारे के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली का आदेश दिनांक 16.6.14 एंव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग,ग्वालियर का आदेश दिनांक 11.3.15 विधिवत् है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य